भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3459

जिसका उत्तर सोमवार, सोमवार, 8 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक) को दिया गया

गुजरात पत्तन से जब्त किये गए नशीले पदार्थ

3459. श्री एन्टो एंटोनी:

क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व खुफिया निदेशालय या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी ने हाल ही में गुजरात पत्तन से नशीले पदार्थ जब्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जब्त किए गए नशीले पदार्थों का मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास गत पांच वर्षों के दौरान गुजरात राज्य सहित देश में जब्त किए गए नशीले पदार्थों के संबंध में कोई आंकड़ा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने गुजरात पत्तन पर नशीले पदार्थों के आयात को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय तटरक्षक बल (गुजरात राज्य पुलिस के साथ) द्वारा 2021 और 2022 में गुजरात के बंदरगाहों से 8 मामलों में ड्रग्स जब्त किए गए थे। चूंकि, वे प्रतिबंधित हैं, सटीक मूल्य नहीं कहा जा सकता है।

(ग) और (घ): विवरण अनुलग्नक- **क** से **च** के अनुसार संलग्न हैं।

(ङ) और (च) सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाएं, डीआरआई एवं अन्य ड्रग क़ानून प्रवर्तन एजेंसियां (DLEAs) पत्तनों, जलमार्गों तथा समुद्र तट पर निरंतर निगरानी रखती हैं, जब भी नशीले पदार्थों की तस्करी का पता चलता है, तो जब्ती करते हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

छिपाकर तस्करी किए जाने वाले नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए पत्तनों के माध्यम से आयातित कार्गो राष्ट्रीय सीमाशुल्क लक्षित केंद्र- कार्गो द्वारा जोखिम-आधारित लक्ष्यीकरण के अधीन है।

गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित चार स्तरीय संरचित नारकोटिक्स समन्वय (एनसीओआरडी) मंच जिला स्तर तक प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

प्रमुख आसूचना एजेंसी, सहायक बहु एजेंसी केंद्र, क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद आदि जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से विभिन्न DLEA के बीच खुफिया समन्वय और साझाकरण किया जाता है।

नशीले पदार्थों की तस्करी की चुनौतियों से निपटने के लिए नवंबर 2021 में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को मिलाकर बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह बनाया गया है।

******